प्रेस विज्ञप्ति
12.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने 11.09.2025 को अमरूद बाग घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में भूपिंदर सिंह, विकास भंडारी और 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा भूपिंदर सिंह, विकास भंडारी और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निजी व्यक्तियों ने अमरूद के बागों के बदले गलत मुआवजा हासिल किया, जो उस जमीन पर मौजूद दिखाए गए थे जिसे ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए), पंजाब द्वारा एसएएस नगर, मोहाली में आईटी सिटी के पास एरोट्रोपोलिस आवासीय परियोजना की स्थापना के लिए अधिग्रहित किया जाना था। आरोपियों ने अमरूद के बागों के लिए गलत मुआवजा पाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 लागू होने के बाद जमीन खरीदी, या जमीन को पट्टे पर ले लिया। उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में जालसाजी की, बागवानी विकास अधिकारियों (एचडीओ) के साथ अमरूद के बागों के बारे में अनुकूल मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए और जीएमएडीए में काम करने वाले अधिकारियों के साथ मिलकर गलत मुआवजा प्राप्त किया। ऐसी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों ने करोड़ों रुपये में पीओसी उत्पन्न और हासिल किया।

ईडी ने इससे पहले 27.03.2024 को विभिन्न परिसरों में तलाशी ली थी, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए थे। इससे पहले, ईडी ने लगभग 9.87 करोड़ रुपये मूल्य की अचल/चल संपत्ति भी कुर्क की थी।

आगे की जाँच जारी है।